विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-02 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञाप 57/05/2021 P&PW(B), दिनांक 03 मार्च 2023 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) राजाज्ञा, दिनांक-28 मार्च 2005 से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष चयनित शिक्षकों/कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चुनने का अवसर दिए जाने हेतु शासनादेश जारी करायेंगे?	भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 की व्यवस्था केन्द्र सरकार के कार्मिकों पर लागू की गयी है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 के समान व्यवस्था प्रदेश सरकार के कार्मिकों पर लागू किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।
(ख) यदि हाँ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल,2005 से नयी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/ असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।